	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 2, गुरूवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 24, 2019 *Kartika 2 Thursday, Saka 1941–October 24, 2019*	

भाग-6(क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान

आदेश

जयपुर, अक्टूबर 21, 2019

संख्या नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/4189 . आ. 123/2019 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 के नियम 78(6) के खण्ड (IX) में अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र के संबंध में यह प्रावधान है कि मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप निम्नांकित रूप से विहित करता है:-

1. मतपत्र की चौडाई 4 इंच होगी।

2. मतपत्र के ऊपरी भाग पर 4 MM मोटाई की छायादार (Shaded) लाईन अंकित होगी।

3. इसके पश्चात् निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए पैनल बनाए जाएगें। प्रत्येक पैनल की ऊंचाई 25 MM होगी।

4. प्रथम एवं द्वितीय पैनल को 10 MM एवं अन्य सभी पैनलों को 4 MM मोटी छायादार (Shaded) लाईन से पृथक किया जाएगा।

5. मतपत्र के प्रथम एवं द्वितीय पैनल के मध्य 10 MM की लाईन को बीच से ऊध्र्वाधर (Vertical) रेखा से विभाजित किया जाएगा, अर्थात् 2 इंच की चौडाई के दो भाग बनाए जाएगें। बांई ओर वाले भाग में मतपत्र क्रमांक अंकित किया जाएगा। दांई ओर वाले भाग को 5 MM की क्षैतिज (Horizontal) रेखा से विभाजित कर 5 MM के दो भाग बनाए जाएगें। ऊपरी भाग में निर्वाचन की विशिष्टियां यथा अध्यक्ष, नगरपालिका का नाम, साधारण निर्वाचन या उप-निर्वाचन और वर्ष अंकित की जाएगी। (उदाहरण के लिए - ''अध्यक्ष/झालरापाटन/सा.नि./19'') नीचे वाले भाग को छायादार (Shaded) रखा जाएगा।

6. अभ्यर्थी का नाम पैनल में बांई ओर तथा उसका प्रतीक दाहिनी ओर अंकित होगा। इसी प्रकार अंतिम अअभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बांई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दांई ओर होगा।

7. अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सम्मुख उनके लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 35 X 20 MM (चौडाई X ऊंचाई) से अधिक नहीं होगा।

8. अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति से दर्शित किये जायेंगे और उसी क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे, जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं।

9. मतपत्र पर विशिष्टियॉ हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।

10. जहॉ किसी निर्वाचन में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित 9 से अधिक हो जाए वहां मतपत्र दो स्तम्भों में, 18 से अधिक होने पर तीन स्तम्भों में होगा एवं आगे भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतपत्र का प्रत्येक स्तम्भ 4 इंच का होगा।

11. मतपत्र के दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में दो स्तम्भों के मध्य 10 MM मोटाई की छायादार (Shaded) ऊध्र्वाधर (Vertical) लाईन अंकित होगी। निर्वाचन की विशिष्टियां पहले स्तम्भ में ही अंकित की जानी है।

12. निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम स्तम्भ, दूसरे, तीसरे आदि स्तम्भों में अंकित किए जाएगें। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।

13. नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित जहां निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विषम में हो वहां मतपत्र के दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगा।

14. मतपत्र एक एवं दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में नमूना मतपत्र क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,
श्याम सिंह राजपुरोहित
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।